छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011
(अग्रहायण-25, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होने पर माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अग्नि चंद्राकर का नाम पुकारा । श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने उल्लेख किया कि प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रश्नों में भाग नहीं लेने का निर्णय किया है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों से प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कथन किया कि प्रतिपक्ष ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रश्नों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है इसलिए प्रतिपक्ष के सदस्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रश्न नहीं करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने उच्च संसदीय परम्पराओं का उल्लेख करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्न पूछने का आग्रह किया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 01 एवं 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः श्री अग्नि चंद्राकर एवं श्री भोलाराम साहू, सदस्य का नाम पुकारा गया। माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने पुनः आग्रह करते हुए व्यक्त किया कि सभा की मान्य परम्परा है कि जो सदस्य प्रश्न लगाते हैं, उन्हें प्रश्न पूछना चाहिये।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 05 एवं 06 (कुल 05) प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 04, 05 एवं 06 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से नियम 23 के परंतुक के अंतर्गत आज के लिए नियत गैर सरकारी कार्य को आगामी शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के लिये नियत किए जाने की घोषणा की।

4. मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करने हेतु श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य का नाम पुकारा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य होते हैं, वही चर्चा की शुरूआत करते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य को चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृजमोहन अग्रवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

5. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है ।

6. मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमशः)

डॉ.शक्राजीत नायक,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, देवजी पटेल (जारी)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री लखमा कवासी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(चर्चा जारी)

सायं 5.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 19 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 28, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा